प्रेस विज्ञप्ति
06.11.2026

ईडी ने घर खरीदारों की ₹1,353.26 करोड़ की धनराशि के धनशोधन मामले में मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, इसके प्रवर्तकों नवीन एम. रहेजा और नयन एन. रहेजा तथा 18 अन्य के विरुद्ध पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की; ₹810 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिनांक 06.11.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), साकेत न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (आरडीएल), इसके प्रबंध निदेशक नवीन एम. रहेजा, नवीन एम. रहेजा के पुत्र नयन एन. रहेजा, उनकी पुत्री नयना एन. सिंघानिया, उनकी पत्नी श्रीमती निर्मल रहेजा तथा 16 अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दर्ज की है। यह अभियोजन शिकायत पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धनशोधन के अपराध के संबंध में दायर की गई है।

ईडी ने मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड और इसके निदेशकों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा तथा गुरुग्राम पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की थी। ये प्राथमिकियाँ उन घर खरीदारों की शिकायतों पर दर्ज की गई थीं, जिन्होंने समूह की रहेजा रेवांटा, अटलांटिस, नवीन मीनार और द दिल्ली मॉल जैसी परियोजनाओं में फ्लैटों एवं वाणिज्यिक इकाइयों के लिए भुगतान किया था, लेकिन उन्हें न तो संबंधित संपत्तियों का कब्जा मिला और न ही उनकी धनराशि वापस की गई।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरडीएल ने दिल्ली और गुरुग्राम स्थित अपनी आवासीय एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं में समय पर संपत्तियों का कब्जा सौंपने का वादा करके लगभग 4,600 घर खरीदारों और निवेशकों से करीब ₹2,699.13 करोड़ की धनराशि एकत्र की थी। इस धनराशि का निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने के बजाय, अब तक ₹1,353.26 करोड़ की राशि को अपराध से अर्जित आय के रूप में चिह्नित किया गया है। इसमें ₹1,175.86 करोड़ की वह धनराशि शामिल है, जिसे परियोजना खातों, एस्क्रो खातों और रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से संबंधित खातों से निकालकर निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, ₹177.40 करोड़ की धनराशि घर खरीदारों से पंजीकृत करारों के बाहर नकद रूप में एकत्र की गई थी। समूह की अधिकांश परियोजनाएँ अभी भी अधूरी हैं।

जांच में यह भी सामने आया है कि घर खरीदारों से प्राप्त धनराशि को समूह की कंपनियों तथा ऐसी कंपनियों में अन्यत्र स्थानांतरित किया गया, जिनका संचालन कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को नाममात्र के निदेशक बनाकर किया जा रहा था। इस धनराशि का उपयोग इन कंपनियों के नाम

पर भूमि खरीदने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, एक परियोजना के रेरा खातों से धनराशि को दूसरी परियोजना के खातों में भी स्थानांतरित किया गया।

ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत दिनांक 27.06.2025 को दिल्ली-एनसीआर में 14 परिसरों तथा दिनांक 25.04.2026 को 9 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ये परिसर आरडीएल, इसके प्रवर्तकों, कर्मचारियों और संबंधित संस्थाओं से जुड़े थे। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, आभूषण, सोने के सिक्के एवं सिल्लियाँ तथा विदेशी मुद्रा जब्त की गई। माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (पीएमएलए) ने मूल आवेदन (ओ.ए.) संख्या 196/2025 और 95/2026 में उक्त जब्त सामग्री के प्रतिधारण की अनुमति प्रदान की है। ईडी ने दिनांक 28.04.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 11/2026, दिनांक 15.06.2026 के आदेश संख्या 13/2026 तथा दिनांक 30.07.2026 के आदेश संख्या 17/2026 के माध्यम से ₹810.57 करोड़ के बही मूल्य और ₹2,399.65 करोड़ के वर्तमान बाजार मूल्य वाली अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

नवीन एम. रहेजा, नयन एन. रहेजा, नयना एन. सिंघानिया और निर्मल रहेजा जानबूझकर तलाशी की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए और उन्होंने पीएमएलए की धारा 50 के तहत बार-बार जारी किए गए समनों का भी अनुपालन नहीं किया। ईडी ने उक्त चारों आरोपियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने का अनुरोध करते हुए माननीय विशेष न्यायालय, साकेत न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया है। नयन एन. रहेजा की अग्रिम जमानत याचिका दिनांक 19.09.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), साकेत न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उनकी ओर से दायर याचिका को भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.10.2026 को खारिज कर दिया।

इस मामले में दायर अभियोजन शिकायत में निम्नलिखित 21 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है: मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, मेसर्स अरबटेक कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रियासत पैलेसेज लिमिटेड, मेसर्स एन.ए. बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रहेजा आइकॉन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स स्टैंडर्ड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, नवीन एम. रहेजा, नयन एन. रहेजा, योगेश हुरिया, मेसर्स अरबटेक प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ओकामुरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बेटरचॉइस रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स देवास्या डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स नेक्स्ट जेनरेशन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड), मेसर्स एनबीएसएएम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गोल्डन पाम्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मेरीफुर ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सुरुचि मर्चेंट्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती पूजा हुरिया, संगीता कुमार, नयना एन. सिंघानिया और श्रीमती निर्मल रहेजा। ईडी ने कुर्क की गई संपत्तियों के अधिहरण तथा जांच में शामिल नहीं हुए प्रवर्तकों और उनके परिवार के सदस्यों, अर्थात् नवीन रहेजा, नयन एन. रहेजा, नयना एन. सिंघानिया और श्रीमती निर्मल रहेजा को पकड़े जाने पर अभिरक्षा में लिए जाने का अनुरोध किया है।

मामले में आगे की जांच जारी है।